न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी यज्ञ मित्र सिंहदेव आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या 28 / 2018 / प्रार्थना पत्र मुंतकिली

रूपाराम पुत्र हणमान, जाति जांगिड़, निवासी ग्राम जाजेद, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. दुर्गा देवी पत्नी स्व0 सुरजाराम, जाति जांगिड़ ब्राहम्ण, निवासी ग्राम जाजोद, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिलस सीकर राज0।
2. केसर पुत्र गणपत, जाति जांगिड़, निवासी ग्राम जाजोद तहसील लक्ष्मणगढ़, जिलस सीकर राज0।
3. भंवरी देवी पुत्री रामूराम, पत्नी रामेश्वर, जाति जांगिड़, निवासीनी ग्राम जाजोद, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर हाल ग्राम शोला तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर राज0।
4. महेश पुत्र सावित्री देवी, जाति जांगिड़, निवसी ग्राम जाजोद, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर हाल ग्राम डालवास, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर।

5. नाथी देवी पत्नी मांगीलाल	समस्त जाति जांगिड़, निवासीगण ग्राम जाजोद, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर (राज.)।
6. सुभाष पुत्र मांगीलाल	
7. राकेश पुत्र मांगीलाल	
8. कविता पुत्री मांगीलाल	
9. विमला पत्नी शंकरलाल	
10. सुमन पुत्री शंकरलाल	
11. माया पुत्री शंकरलाल	
12. अनिता पुत्री शंकरलाल जरिये संरक्षिका माता विमला पत्नी शंकरलाल	
13. नरेन्द्र पुत्र शंकरलाल जरिये संरक्षिका माता विमला पत्नी शंकरलाल	
14. रामगोपाल पुत्र सुरजाराम	
15.. जगदीश पुत्र हणमान	

16. शाखा प्रबन्धक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा जाजोद तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर वर्तमान नाम बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक।
17. पटवारी हल्का ग्राम जाजोद तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
18. उप पंजीयक लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.
19. तहसीलदार, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर

अप्रार्थीगण

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

उपस्थितः—

1. श्री अरूण कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री रामकरण जोशी अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।

प्रार्थना पत्र मुंतकिली अन्तर्गत धारा 235 आर.टी. एक्ट

निर्णय

दिनांक : 14-10-2019

1. प्रार्थी ने प्रा. पत्र मुन्तकिली के तथ्य संक्षेप में निम्नानुसार अंकित किया है कि :—

(1) ग्राम जाजोद तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 575 रकबा 2.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 666/1 रकबा 2.50 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 796 रकबा 1.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 800/872/1 रकबा 0.50 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 806 रकबा 1.13 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 7.62 हैक्टेयर अवस्थित है। उक्त भूमियों बाबत अप्रार्थी संख्या 1 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के यहां दावा व अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर रखी है जो विचाराधीन है।

(2) उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा उक्त वाद में निस्तारण हेतु विभाजन प्रस्ताव आ जाने पर प्रार्थी द्वारा विभाजन प्रस्ताव को गलत बताकर चुनौती दी गई थी, जिस पर चुनौती का निस्तारण करते हुए पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया जो मौके के बिल्कुल विपरीत है, जिसकी प्रार्थी द्वारा आपत्ति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई है।

(3) उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव को सभी पक्षकारान द्वारा गलत बताया जा रहा है फिर भी जानबूझकर सिद्वान्तों का पालन नहीं करते हुए गलत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर ही बिना साक्ष्य लिए तथा बिना दस्तावेजों का अवलोकन किये उक्त प्रकरण का निस्तारण करने पर आमादा हैं, जबकि न्याय के अनुसार सभी पक्षों को सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर देकर उनकी साक्ष्य लेकर तथा दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर ही प्रकरण का निस्तारण किया जाना विधि सम्मत हैं।

(4) उपखण्ड अधिकारी ने एक पक्ष विशेष से प्रभावित होकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों तथा आपत्तियों के बावजूद भी ना तो उक्त प्रकरण में साक्ष्य लिया जाना आवश्यक समझा जा रहा है और ना ही उक्त प्रकरण में दस्तावेजों को ध्यान

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

में लिया जा रहा है केवल मात्र विभाजन प्रस्ताव के आधार पर ही उक्त प्रकरण का निस्तारण पक्ष विशेष को लाभ पहूंचाने पर आमादा हैं।

(5) अप्रार्थी संख्या 1 राजनैतिक पहूंच वाली महिला है जो सभी पार्टियों के राजनेताओं के पास उठ बैठ रखती है तथा वर्तमान पीठासीन अधिकारी पर दबाव बनाकर प्रकरण अपने पक्ष में आदेश पारित करवाने में प्रयासरत है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकर किया जाकर उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के यहां विचाराधीन प्रकरण 58/2015 उनवानी दुर्गा देवी बनाम केसर आदि को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश फरमाने का श्रम करें।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया तथा प्रार्थना पत्र मुन्तकिली के संबंध में पीठासीन अधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। वकील श्री रामकरण जोशी ने अप्रार्थीगण ओर से वकालतनामा पेश किया।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव को सभी पक्षकारान द्वारा गलत बताने पर भी जानबुझकर सिद्वान्तों की पालना नहीं करते हुए गलत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर ही बिना साक्ष्य लिए तथा बिना दस्तावेजों का अवलोकन किये उक्त प्रकरण का निस्तारण करने पर आमादा हैं। उपखण्ड अधिकारी एक पक्ष विशेष से प्रभावित होकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों तथा आपत्तियों के बावजूद भी ना तो उक्त प्रकरण में साक्ष्य लिया जाना आवश्यक समझा जा रहा है और ना ही उक्त प्रकरण में दस्तावेजों को ध्यान में लिया जा रहा है केवल मात्र विभाजन प्रस्ताव के आधार पर ही उक्त प्रकरण का निस्तारण पक्ष विशेष को लाभ पहुंचाने पर आमादा हैं। अतः आवेदन स्वीकर किया जाकर प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

5. वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस अभिकथन किया कि प्रकरण में कायम मुकाम वाद साक्ष्य इत्यादि होने के पश्चात ही बहस सुनने की स्टेज आती है। प्रार्थी द्वारा कोई ठोस व कानूनी आधार अंकित नहीं किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त कार्यवाही नियमानुसार व विधिक प्रकिया को मध्य नजर रखते हुए की गई है। प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोप आधारहीन व बेबुनियाद हैं, जिसका कोई साक्ष्य/सबूत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी का एक मात्र उद्देश्य प्रकरण को लम्बित रखा जाकर न्यायालय में वाद चलाये रखना है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज करने का आदेश फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner

6. उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ ने अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा मनघड़न्त, बेबुनियाद गलत तथ्य अंकित किये गये हैं। प्रार्थी का आवदेन सारहीन होने व प्रकरण में येनकेन प्रकारेण लम्बित रखने की मंशा से यह आवेदन पेश किया गया है जो कि प्राथमिक स्तर पर खारिज योग्य है। प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का श्रीमान को विवेकाधिकार है।

7. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने ऐसा कोई ठोस साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे जाहिर होता हो कि पीठासीन अधिकारी प्रकरण में कोई पक्षपात पूर्ण निर्णय किये जाने की सम्भावना हो। इसके अतिरिक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में अन्तरित किया जाता है तो प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होगा।

8. RRT 730=2007 RRD 795 = 2007 RBJ 399 Laxmi Devi vs. Hari Om& ors.= 2007(1) में राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय में यह अंकित किया गया है कि ''मुन्तकिली प्रार्थना पत्र फौरी कारणों से मात्र कयास के आधार पर निर्णित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे न्यायिक व्यवस्था में व्यवधान पैदा होता है एवं पीठासीन अधिकारी की साख में भी कमी आती है। किसी पक्षकार की आंशका मात्र से यदि प्रकरण मुन्तकिल किया जावे तो अदालतों की विश्वसनीयता पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है तो न्याय हित में नहीं कहा जा सकता। बिना ठोस आधार के प्रकरण को एक अदालत से दूसरी अदालत में मुनतकिल नहीं किया जा सकता।''

9. RRT 494 Surta Singh vs. Sugani & ors.= 2007(1) में राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय में यह अंकित किया गया है कि ''किसी पक्षकार को यह अनुमति नहीं दी जा सकती कि वह असत्य एवं आधारहीन तथ्यों के आधार पर न्यायिक सिद्धान्त का अनुचित लाभ लेते हुए अधीनस्थ न्यायालय पर अनावश्यक आक्षेप लगाये, दबाव डाले एवं न्यायिक प्रक्रिया में रूकावट उत्पन्न करे। प्रकरण के स्थानान्तरण के लिए मात्र उपधारणा या सम्भव आकांक्षा पर्याप्त आधार नहीं है। पक्षकार के किसी काल्पनिक धारणा के कारण प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।''

न्यायालय जिला कलेक्टर सीकर (राज.)

10. RRT 213 Kishna & ors. vs. Malki & ors.= 2011-12 (supp.) में राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय में यह अंकित किया गया है कि ''प्रार्थीगण ने अपने इन कथनों के समर्थन में कोई स्वतंत्र सपथ पत्र भी पेश नहीं किया। इससे यह प्रतीत होता

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

है कि प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र में अंकित अभिवचन आधारहीन, तथ्यहीन है तथा अवांछित आधार को मान्य करार नही किया जा सकता। पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध बिना सबूत व आधार के मून्तकिली प्रार्थना पत्र में अभिवचन करना न सिर्फ अवांछित है, बल्कि अनुचित एवं अनैतिक तथा न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचने वाला भी है।''

11. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र मुन्तकिली **खारिज** किया जाता है।

12. निर्णय आज दिनांकः 14 **अक्टूबर, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/10/2019

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर, सीकर

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner